

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 38 / 2023(पुरानी-21 / 2023)

प्रविष्टि दिनांक:- 18.10.2023(पुरानी-20.02.2023)

निर्णय दिनांक :- 27.03.2024

::--उनवान--::

1. काशीराम पुत्र नेमीचंद जाति गुर्जर नि0 टोपा कॉलोनी तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी

बनाम

-अपीलान्त

1. नायब तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 30.01.2023 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

(1) श्री नोरतमल सांखला, अभिभाषक अपीलान्तस

(2) नायब तहसीलदार, टोडारायसिंह रेस्पोडेण्ट

::--निर्णय--::

दिनांक 27.03.2024

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2023 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबड़दुम्बा तहसील टोडारायसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलांत द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांत का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। अपीलांत ने कब्जा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकडी(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री दिनेश धाकड़(आर.ए.एस.)

मुं -38/2023

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान- काशीराम बनाम नायब तहसीलदार टोडारायसिंह

छोड़ने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिंग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर आया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि 591 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दाबड़दुम्बा, टोडारायसिंह पर सरसों लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय परोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार टोडारायसिंह यह सुनिश्चित करेंगे कि निवर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है।
7. भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफतर हो।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर,
केकडी